छत्तीसगढ़ राज्य की पाठ्यचर्चा की रूपरेखा और उभरते मुद्दे पर कार्यशाला: एक रपट

शिक्षा सामाजिक बदलाव, सुदृीकरण व प्रगति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हर समाज अपने स्कूलों से बहुत सी अपेक्षाएं रखता है। इसलिये स्कूली शिक्षा पर चर्चाओं को कभी विराम नहीं मिलता है।

कक्षाओं में सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को समाज की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं से कैसे जोड़ा जाए, इस बात को केन्द्र में रख कर ही राज्य पाठ्यचर्या की रूपरेखा तय करते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा का प्रारूप - 2007 अन्य तमाम शैक्षिक मुद्दों के साथ-साथ बच्चों की ज्ञान सृजन की क्षमता को केन्द्र में रख कर बनाया गया। इस रूपरेखा को मार्गदर्शन मिला राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 से, जिसे राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा विकसित किया गया है। इस 2007 की पाठ्यचर्या में 2009 में जारी शिक्षा के अधिकार अधिनियम के आलोक में कुछ परिवर्तन कियें। इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव था- सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का। इस परिवर्तन का कई पहलुओं पर प्रभाव था। उदाहरण के तौर पर कक्षा के स्वरूप, शिक्षक की भूमिका, बच्चे के साथ व्यवहार, आदि। हम यह देख ही सकते है कि जब भी नई पाठ्यचर्या की बात होगी तो इस तरह के अन्य परिवर्तन पाठ्यचर्या के नवीनीकरण के महत्वपूर्ण अंग होंगे। हाल की नई शिक्षा नीति 2016-17 की चर्चाओं में यह प्रयास व्यापक स्तर पर हुआ कि राज्य की शैक्षिक चुनौतियों और उससे निपटने व शिक्षक प्रक्रियाओं में सुधार की संभावनाओं को टटोला जाए और कुछ ऐसे मुद्दों की तलाश की जाए जिन्हें आने वाले समय में राज्य की पाठ्यचर्या की रूपरेखा के आधार में जोड़ा जाएगा और जिनसे राज्य की स्कूली शिक्षा के गुणवत्ता संवर्धन में महत्वपूर्ण मदद मिल सकेगी।

इसी सिलसिले में एक कार्यशाला का आयोजन 24 -26 अप्रैल 2016 तक राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, रायपुर में किया गया।

इस कार्यशाला के प्रतिभागी थे– छत्तीसगढ़ राज्य के डाईट, जिला शिक्षा कार्यालय, सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, आई.ए.एस.ई., शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय (सरकारी एवं गैर सरकारी), माध्यमिक शिक्षा मंडल, खंड संसाधन केंद्र, संकुल संसाधन केंद्र से आए संकाय सदस्य एवं अधिकारी गण, प्राचार्य, शिक्षक (प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, हायर सेकेंडरी), राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, (छत्तीसगढ़) और गैर सरकारी संगठनों के सदस्य। प्रतिभागियों की कुल संख्या 73 थी। यह कार्यशाला एन.सी.ई.आर.टी. के पाठ्यचर्या विभाग की अध्यक्षा प्रोफ़ेसर रंजना अरोड़ा के मार्गदर्शन में आयोजित की गई। यह रिपोर्ट इस कार्यशाला की प्रक्रिया व इसमें हुए प्रस्तुतिकरण पर है।

प्रथम दिवस -

छत्तीसगढ़ व इसके शैक्षिक परिदृश्य की संक्षिप्त जानकारी के पश्चात् समूह कार्य आरंभ किया गया। विषय था- ''राज्य की पाठ्यचर्या और उभरते शैक्षिक मुद्दे''। इस चर्चा के लिए विषयनुसार कुछ समूह बनाएं गए इन विषय समूहों ने कई मुद्दो पर सोच विचार कियाए जैसे- वर्षों के अंतराल के बाद कौन से नए मुद्दों को पाठ्यचर्या में शामिल करना चाहिए, कौन से मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर पिछली पाठ्यचर्या में विचार तो हुआ था परंतु, क्रियान्वयन में कमी रही, इत्यादि, समूहों द्वारा किये गये प्रस्तुतिकरण में, जो महत्वपूर्ण मुद्दे सामने आए, उनमे से कुछ यह है:

- ''शिक्षा सभी के लिए'' के अन्तर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के हर तबके तक शिक्षा की पहुँच हो, सभी बच्चों का स्कूल में नामांकन, स्कूलों में उनकी निरन्तरता और उपलब्धि सुनिश्चित हो।
- स्कूल की शिक्षा से हमारा क्या आशय है- पाठ्य-पुस्तकों को पढ़ना, परीक्षा देना और उत्तीर्ण होना।

या कुछ और? क्या यह शिक्षा बच्चों को एक उत्तम किसान, कुशल व्यवसायी, राजनीतिज्ञ, अच्छा पालक, जागरूक मतदाता, वैज्ञानिक, आर्दश शिक्षक बनाने में सक्षम है? क्या इनसे हमारा समाज विकास की ओर अग्रसर होगा? यदि नहीं तो हमें अपने और कक्षागत प्रक्रियाओं में क्या बदलाव लाने होंगे?

- हमारे सभी विद्यालयों में एक जैसा पाठ्यक्रम है, सभी विद्यालयों व सभी बच्चों को ठीक एक जैसा पाठ्यक्रम दिया जाए या उसमें अपनी परिस्थिति व रूचि के अनुसार भी कुछ खुलापन हो, जिससे कक्षा प्रक्रिया अलग-अलग तरह से रची जा सके। अभी हमारी शिक्षा ऐसे अवसर उपलब्ध नहीं कराती हैं जिसमें बच्चों शिक्षकों की रूचि की जगह हो।
- राज्य में भौगोलिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, प्रजाति एवं भाषायी विविधताएँ, जैसे- हल्बी, सादरी, मुरिया, गोंडी, सरगुजिया, धुरवा, कुडुक, छत्तीसगढ़ी आदि हैं। चूँकि पाठ्यचर्या पूरे राज्य के लिए एक दस्तावेज है, अतः यह सोचना होगा कि राज्य के 146 विकासखण्डों की क्या-क्या सांस्कृतिक विशेषताएं हैं व उनकी बुनियादी मान्यताएं व समझ कैसी हैं? इनमें अर्न्तनिहित विविधता को कैसे समझा व उनका उपयोग किया जाए। इसके लिए जरूरी है कि यह सभी विविधत एक संसाधन बनकर उभरें। बच्चों में विभिन्न परिप्रेक्ष्यों, सन्दर्भों और मुद्दों को सही तरीके से देखने, समझने की दृष्टि विकसित की जाए। इन विविधताओं को कक्षा में संसाधन के रूप में देखने से पारस्परिक समझ बढ़ेगी।
- गैर आदिवासी शिक्षक जो आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, उन्हें विशेष प्रशिक्षण दिया जाए जिससे वे उस क्षेत्र विशेष के बच्चों को समझ सके, उनकी भाषा जानने का प्रयास करें व उनके करीब जाएं।
- आदिवासी क्षेत्रों, दूरस्थ वनांचलों, घुमन्तु जाति, कामकाजी बच्चों की स्कूल में नियमित उपस्थिति और ठहराव को बढ़ावा मिले।
- प्रारंभिक शिक्षण मातृभाषा में हो, स्कूल व कक्षा का वातावरण बच्चों के अनुकुल हो। सीखने-सिखाने की प्रक्रिया में शिक्षक बच्चों की सहायता करें। सीखने में आने वाली कठिनाइयों को दूर करें।
- मूल्य शिक्षा को भी बढ़ावा देने की बात की गई। राज्य में किशोरों को नशे की गिरफ्त में न आने व एवं अन्य असमाजिक कार्यो से दूर रखने के प्रयास स्कूल व समाज को मिल कर करने होंगे। पाठ्यचर्या को अपने लक्ष्यों में इनकी वरीयता देनी होगी, जैसे - बच्चों का नियमित स्कूल आना, स्कूल में आनन्द व रूचिपूर्वक समय बिताना, सीखना, शिक्षक, विद्यार्थी और समुदाय के सुदृढ़ अर्न्तसम्बन्ध और आपसी सौहार्द्र, जिससे आगे चल कर बच्चों में रूचि के अनुसार काम करने का साहस और आत्मविश्वास जागृत हो।
- विद्यालयों को भी अपने निर्णय स्वयं लेने का अधिकार हो, विशेष तौर पर दूरस्थ अंचलों में स्थित विद्यालयों को भी। एक तरह से उन्हें यह विशेष तौर पर मिलना चाहिए।
- इनके अलावा पाठ्य-पुस्तकें परिवेश से जुड़ीं हों, आकलन व्यवहारिक, विद्यार्थी केन्द्रित और मानवीय हो, प्रशासनिक व अकादमिक रिक्तता दूर हो। पाठ्येत्तर गतिविधियाँ पाठ्यक्रम का हिस्सा हो, सूचना एवं संप्रेषण तकनीक (ICT) जोर हो। जेण्डर संवेदनशीलता को बढ़ावा मिले, समावेशी शिक्षा सुदृढ़ हो।
- शिक्षक-प्रशिक्षण प्रभावी हो और इसकी न केवल लगातार मानिटरिंग की जाए, वरन इसे निरन्तर मदद भी दी जाए। व्यावसायिक शिक्षा ऐसी हो कि योग्य और प्रतिभावान बच्चे भी इसमें अपना भविष्य तलाश कर सकें।
- शिक्षा का उद्देश्य बच्चों को योग्य नागरिक बनाना है, जिससे वे स्वयं और समाज के विकास की दिशा में उपयोगी सिद्ध हो सके। हमें यह ध्यान रखना होगा कि सामाजिक परिवर्तन एक निरन्तर प्रक्रिया है इसलिए बदलते शिक्षा के उद्देश्यों के साथ-साथ पाठ्यचर्या को भी निरन्तर परिवर्तनशील व प्रासंगिक होना

चाहिए। अतः वैश्विकरण के इस युग में पाठ्यचर्या वैश्विक नागरिक तैयार करें। इन सभी के बीच हमारी स्थानीयता व जीवन मूल्य बरकरार रहें।

अन्त में यह बिन्दु सामने आया कि पाठ्यचर्या क्या है? एक विचार आया कि यह हमारी इच्छाओं का दर्पण है? तो किसी और प्रतिभागी ने कहा यह हमारी आवश्यकताओं का दर्पण है। हमारी आवश्यकताओं से तात्पर्य राज्य की आवश्यकताएँ हैं। इच्छाओं व आवश्यकताओं के बीच चुनाव से यह स्पष्ट उभरा कि इसे आवश्यकता समझना उपयुक्त है क्योंकि यह स्कूल के लक्ष्य को फिर उसके सामने रख रहा है। राज्य में शिक्षा के क्षेत्र में हो रहे तमाम प्रयासों के बावजूद अपेक्षित परिणाम हासिल नहीं हो रहे हैं, यह चिन्ता का विषय है। शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप हमें अपनी समझ विकसित करनी होगी। हमें स्वयं को टटोलना होगा। यह सोचना होगा हम ऐसा क्या करें या क्या नहीं करें कि बेहतर परिणाम सामने आएं।

द्वितीय दिवस -

कार्यशाला के प्रतिभागियों ने प्रथम दिन की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए पाठ्यचर्या, पाठ्यक्रम व पाठ्यपुस्तकों पर चर्चा की। इस सत्र में कई तरह की बातें सामने आई, जो प्रमुख उभरे मुद्दे वे इस प्रकार हैं-

- पाठ्यचर्या की रूपरेखा एक ऐसी योजना है जिसमें व्यक्ति और समाज दोनों के लिए शैक्षिक लक्ष्य प्रतिबिम्बित होते हैं। जिससे यह समझ बनती है कि बच्चों को किस प्रकार के अधिगम अनुभव दिये जाए। जिससे उनका सामुदायिक, दार्शनिक व सामाजिक विकास हो सके। सामान्यत: इसे राष्ट्र और राज्य स्तर पर बनाया जाता है।
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा यह भी बताती है कि शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या हैं, किस तरह के समाज और बच्चों की कल्पना की गई है। हमे यह समझने व उपयोग में लाने की आवश्यकता है।
- पाठ्यचर्या की रूपरेखा के परिपेक्ष्य को, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं और विद्यालय के आस पड़ोस के संदर्भ को ध्यान में रखते हुए सोचना चाहिए। इस पाठ्यचर्या में स्कूल मे कराई जाने वाली समस्त गतिविधियाँ जिनसे विद्यार्थी सीखते है और उनका सर्वांगीण विकास होता है, शामिल होती हैं।
- इसके साथ-साथ पाठ्यक्रम विषय केन्द्रित होता है, कक्षानुसार सीखने के क्रम, अनुपात और मूल्यांकन को बताता है।
- पाठ्यपुस्तके, पाठ्यक्रम में दिये गये विषयो को पाठ्य वस्तु प्रदान करती है।

इसके साथ ही साथ आशायित (Intended), हस्तान्तरणीय (Transacted), आकलित (Assessed) तथा गुप्त (Hidden) पाठ्यचर्या पर भी चर्चा हुई। समूह से यह बात उभर कर आयी कि स्कूल व्यवस्था को इस ओर सचेत रहना चाहिए कि गुप्त पाठ्यचर्या के माध्यम से स्कूल में कोई ऐसा व्यवहार न हो जो बच्चे के स्कूल से बहिष्करण का कारण बने।

वर्तमान में, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के परिपेक्ष्य में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) परिभाषित किए गए हैं। इस कार्यशाला में वर्तमान में एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा विकसित सीखने के प्रतिफल (Learning Outcomes) के सन्दर्भ में, राज्य की वर्तमान पाठ्यपुस्तकों को देखा गया। समूह ने कुछ पाठ्यपुस्तकों- कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 4 और 5 गणित, कक्षा 3 और 4 हिन्दी, इत्यादि का लर्निंग आउटकम के संदर्भ में विश्लेषण किया। जिसमे हिन्दी और गणित की पुस्तकों को राष्ट्रीय स्तर पर परिभाषित लर्निंग आउटकम के अनुकूल पाया गया, परंतु अन्य पुस्तकों के संदर्भ में और अधिक विश्लेषण और समीक्षा की आवश्यकता महसूस की गई।

तृतीय दिवस -

इस दिन पाठ्यपुस्तकों पर चर्चा को जारी रखते हुए विचार आये कि लर्निंग आउटकम को प्राप्त करने के लिए पाठों को बच्चों के अनुभवों और जीवन से जोड़ना होगा जिससे कि रटने पर जोर कम हो और समझ को बढ़ावा मिले। कक्षाओं में बच्चों को अधिक से अधिक करने और बोलने के मौके दिए जाए।

इस सत्र के बाद आई एफ आई जीए छत्तीसगढ़ के श्री महेन्द्र मिश्रा जी ने समाजिक रचनावाद और पाठ्यचर्या पर समूह से चर्चा की। चर्चा इस प्रकार रही- पाठ्यचर्या को समय से बांधा नहीं जा सकता है। सीखना और सिखाना Intergenerational है। समाज के पास सीखने-सीखाने के अपने परम्परागत तरीके हैं। लोग अपने अनुभवों से, अभ्यास से ज्ञान का सृजन स्वयं करते है। स्कूली पाठ्यचर्या की बात करें तो इसमें विद्यार्थी, शिक्षक व विषय सम्मिलित है। इसके परिपक्ष्य में यदि कक्षाओं को देखा जाए तो निम्नलिखित मुद्दे सामने आते हैं।

- हमारी कक्षाओं का स्वरूप क्या हैं? कक्षाओं में कितनी विविधता है? विभिन्न भाषाओं, विभिन्न क्षेत्रों, विभिन्न संस्कृति के बच्चे हैं। शिक्षक की प्रभुता है, बच्चों का मौन है। यदि ऐसा रहा तो सांस्कृतिक स्वतन्त्रता कैसे आएगी?
- कक्षाओं में समानता जीवन्त हो, बच्चों के लिए समावेशी और सार्थक अनुभव हों। कक्षाओं को पाठ्यपुस्तकों से बाहर निकाल कर बच्चों के जीवन से जोड़ा जाए। शिक्षण बाल-केन्द्रित हो।
- इस सत्र में चर्चा के दौरान यह बिन्दु भी रखा गया कि हमारा संविधान और NCF-2005 समानता व समान अवसरों की अनुशंसा करते हैं। यदि हमें लोकतंत्र में जीना है तो सहअस्तित्व पर विश्वास कर हर वर्ग के स्थानीयता, सामाजिक व सांस्कृतिक संदर्भों को शिक्षा में शामिल करना होगा।

तीसरे दिन के अंतिम सत्र में ''प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2016'' की प्रतियाँ प्रतिभागियों को दी गई। इस प्रारूप के विभिन्न अध्यायों पर अध्ययन के पश्चात समूहों ने प्रस्तुतीकरण किया। प्रत्येक प्रस्तुतीकरण पर विमर्श, चर्चा की गई, जिससे इस नीति पर समूह की समझ और भी पुख्ता हो।

कुछ बिन्दु जिस पर समूह वैचारिक तौर पर विभाजित रहें, इस प्रकार हैं- '' कक्षा में रोके न जाने की नीति'' ''कक्षा 5 व 8वीं में फेल किए जाने की प्रणाली''। हम जानते है कि प्रत्येक बच्चे की सीखने की गति व क्षमता अलग-अलग होती है। 8वीं में फेल होने पर बच्चे के विद्यालय से दूर हो जाने का अंदेशा है। परन्तु दूसरा समूह इस प्रावधान से सहमत दिखा। नई शिक्षा नीति के प्रारूप में बिन्दु 4.5.8 के अनुसार कक्षा 10 में गणित, विज्ञान व अंग्रेजी की परीक्षा 2 स्तरों पर होगी - भाग 'क' उच्च स्तर और भाग 'ख' निम्न स्तर पर। व्यावसायिक विषयों में जाने वाले विद्यार्थी भाग 'ख' की परीक्षा देंगे। इस पर भी समूह की सहमति नहीं बन पाई। एक समूह का कहना था कि समानता के मुद्दे को लेकर भी इस बिन्दु पर विचार करना चाहिए। जबकि दूसरा समूह इस बिन्दु से सहमत दिखा, क्योंकि इससे सभी बच्चों के 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने के अवसर बढ़ जाएंगे।

समूह ने राज्य की पाठ्यचर्या में व्यावसायिक शिक्षा को इतना सुदृढ़ करने की बात कही है कि प्रतिभाशाली बच्चे भी इस ओर आर्कषित हो। शिक्षानीति पर विमर्श के बाद यह कार्यशाला इस विचार के साथ सम्पन्न हुई कि पाठ्यचर्या प्रक्रियाएँ बहुआयामी व गत्यात्मक हैं। इस प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से एक निश्चित अवधि के पश्चात आयोजित होने चाहिए ताकि पाठ्यचर्या परिपेक्ष्य और प्रक्रियाओं पर हमारी समझ बढ़ती रहे।